से इंकार नहीं किया जा सकता है अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 130 रकबा 3.7474 हेक्टेयर में उगने वाली फसल की सिंचाई हेतु उपयोग में लाये जाने वाले 10 एचपी के विद्युत मोटर कनेक्शन के संचालन एवं हस्तगत वाद के विवादित कुएं से पानी निकालने में दखलंदाजी न करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

–:: संशोधित आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बख़ूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थीगण** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन मे सरहद मौजा रामावास कलां पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 130 रकबा 3.7474 हेक्टेयर आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण का पुराना कुआं खुदा हुआ है कुएं पर प्रार्थीगण का 10 एचपी का विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है प्रार्थीगण को अपने कुएं में विद्युत मोटर चलाने व जमीन की पिलाई करने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज०

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)